

फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड (जो पूर्व में एयू फायनेंसियर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था), पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर - 302001 (राज.), जरिये प्राधिकृत अधिकारी विरेन्द्र पाराशर पिता श्री कुंज बिहारी पाराशर, उम्र 41 वर्ष, मैनेजर एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड, राजसमन्द (राज.)
-प्रार्थी

बनाम

1. श्री ख्यालीलाल सेन पिता श्री जीवराज सेन, निवासी चारभुजा मंदिर के पास, खटामला, जिला राजसमन्द (राज.)
-- -- ऋणी एवं बंधककर्ता
बंधक सम्पत्ति :-
श्री ख्यालीलाल सेन पिता श्री जीवराज सेन,
प्लॉट का पट्टा नं. 2393, संकल्प नं. 2, ग्राम खटामला, तहसील व जिला राजसमन्द ।
2. श्रीमती भगवती सेन पत्नी श्री ख्यालीलाल सेन, निवासी 119, मुख्य गांव खटामला, तहसील एवं जिला राजसमन्द (राज.)
--सहऋणी
3. श्री राकेश कुमार सेन पिता श्री रामलाल सेन, निवासी 579, विवेकानन्द नगर, गढबोर, तहसील गढबोर, जिला राजसमन्द (राज.)
-- जमानती
-- विपक्षीगण

किस्म मुकदमा- प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट

पत्रावली संख्या 31/2021

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक 16.11.2021</p> <p>प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी एयू स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड राजसमन्द ने दिनांक: 03.08.2021 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया है जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया।</p> <p>विपक्षी संख्या 1, एवं 2 ने प्रार्थी बैंक से दिनांक 10.08.2017 को 3,00,000/- अक्षरे तीन लाख रुपए का ऋण प्राप्त किया था एवं विपक्षी संख्या 3 ने उक्त ऋण की जमानत दी थी। विपक्षी संख्या 1 द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति और उस पर निर्मित भवन एवं ढाँचा आदि को भी प्रार्थी के पक्ष में गिरवीकृत किया। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :- बंधक सम्पत्ति का विवरण :- श्री ख्यालीलाल सेन पिता श्री जीवराज सेन, प्लॉट का पट्टा नं. 2393, संकल्प नं. 2, ग्राम खटामला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भूमि एवं ढाँचा आदि है, जो सभी सम्पत्ति के</p>	



अभिन्न अंग है जिसका नाम 2002 अधिनियम है जिसके
निम्न प्रकार है कि -

हीरालाल सुथार का मकान, उत्तर :- भेरूलाल सेन का मकान, दक्षिण :
रास्ता। विपक्षीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी वित्तीय संस्था में उक्त ऋण का
भुगतान नहीं कर सके और भुगतान में व्यतिक्रम व अतिदेय होने पर प्रार्थी बैंक
द्वारा विपक्षीगण का खाता दिनांक 31.08.2021 को अक्रियान्वित आस्ति में
वर्गीकृत कर दिया। दिनांक 02.04.2021 को विपक्षीगण के खाते में बकाया
राशि 2,57,268/- अक्षरे दो लाख सतावन हजार दो सौ अडसठ रुपये शेष
व देय निकलते हैं। दिनांक 02.04.2021 से आगे का ब्याज व खर्च आदि
सहित राशि का भुगतान करने के लिए विपक्षीगण जिम्मेदार है। प्रार्थी बैंक ने
उक्त एक्ट की धारा 13 (2) के अंतर्गत दिनांक 23.04.2021 का टंकित नोटिस
विपक्षीगण को प्रेषित किया, जिसकी प्राप्ति विपक्षीगण को होने के बाद भी
उक्त देय राशि का भुगतान प्रार्थी को नहीं किया गया है। विपक्षीगण ने देय
राशि का भुगतान बावजूद मांग के भी प्रार्थी बैंक को नहीं किया है। उक्त
एक्ट के प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी कॉलम संख्या 3 में वर्णित सिक्वोरिटी
रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि को
वसूल करने का अधिकारी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित
प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 12 के अनुसार धारा 14 में जो संशोधन
हुआ, वो निम्न प्रकार से है :-

Inserted by Act 44 of 2016, Section 12(i) (w.e.f. 1-9-2016)

Provided further that on receipt of affidavit from
the Authorised Officer, the District Magistrate or the Chief
Metropolitan Magistrate, as the case may be, shall after
satisfying the contents of affidavit pass suitable orders for
the purpose of taking possession of the secured assets
[within a period of thirty days from the date of application]

[Provided further that if no order is passed by the
Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate within
the said period of thirty days for reasons beyond his
control, he may, after recording reasons in writing for the
same, pass the order within such further period but not
exceeding in aggregate sixty days.]

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋणी तथा गारण्टर को
धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति
हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांक: 23.04.2021 को जारी किया




M

गया था। आवेदक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ-पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड राजसमन्द द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार बंधक सम्पत्ति का विवरण :- श्री ख्यालीलाल सेन पिता श्री जीवराज सेन, प्लॉट का पट्टा नं. 2393, संकल्प नं. 2, ग्राम खटामला, तहसील व जिला राजसमन्द (राज.) में स्थित सम्पत्ति, जिसमें भवन, भूमि एवं ढाचों आदि है, जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है, जिसका नाम 383.00 वर्गफीट है, जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि :- पूर्व :- संयुक्त रास्ता एवं रमेश का मकान, पश्चिम :- हीरालाल सुथार का मकान, उत्तर :- भेरूलाल सेन का मकान, दक्षिण : रास्ता।

उपरोक्त सम्पत्ति किसी अन्य को स्थानान्तरण नहीं की हो, किसी न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड, राजसमन्द के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद के दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमन्द को प्रेषित की जाकर प्रार्थी एयू स्माल फायनेन्स बैंक लिमिटेड, राजसमन्द को नियमानुसार पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं० से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।


(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द

